न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलेक्टर) सीकर

पीठासीन अधिकारी, मुकुल शर्मा आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 01/2025/प्रथम अपील

हरफूल सिंह खर्रा एडवोकेट, ए.डी.पी. ऑफिस के पास, कोर्ट परिसर, सीकर–332001

–अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) सीकर

–रेस्पोडेन्ट

न्यायालय जिला कलेक्टर ★ सीकर (राज.) ★

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 21 फरवरी, 2025

1. यह अपील अपीलार्थी **हरफूल सिंह खर्रा एडवोकेट** के द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाकर अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **06.12.2024** में लोक सूचना अधिकारी से जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा भेजे गये अभिभाषक संघ सीकर को पत्र क्रमांक 978/न्याय/ओ.क.19 राजस्व न्यायालयों के लिये शपथ–आयुक्तों, सर्वे व मौका कमिश्नरर्स की सूची व सन् 2020 से 2024 तक की ऑथ कमिश्नर्स, मौका कमिश्नर्स, सर्वे कमिश्नर्स की सूचीयां व लिस्ट की पांच प्रतियों में की प्रमाणित प्रति चाही है।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **13.02.2025** से अवगत करवाया गया है कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक न्याय/आरटीआई/2025/125 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा अपीलार्थी को

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

भिजवायी जा चुकी है। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील निस्तारित करने का श्रम फरमावें।

5. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के अनुसार सूचना चाही गयी थी। आवेदक द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) द्वारा जरिये पत्रांक न्याय/आरटीआई/2025/125 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा अपीलार्थी को भिजवा दी गई है, जिसकी फोटोप्रति भी लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके आधार पर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर का प्रत्युत्तर समुचित प्रतीत होता है।

6. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

7. उक्त आदेश के विरूद्ध, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है, जिसके लिए अपीलांट स्वतंत्र है।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर